ओमप्रकाश वगै० बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु० नं० 36/19	नम्बर व तारीख अहकाम जों इस हुक्म की तामील में जारी हुये .
3-7-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीक उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10-7-19 को पेश हो। [signature]	
10-7-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीक उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-7-19 को पेश हो। [signature]	
23.07.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी की तामील हो जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 400, 448 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का हांसपुर के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.12.2018 के अनुसार मौके	

Scanned by CamScanner

1 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

ओमप्रकाश वगै० बनाम भूमिधारी सहबसिपार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु०न० -36/19	

पर वर्तमान समय में भूमियॉं खाली होने तथा मौके पर फसल काश्त नही होने से पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2063–66, 2033–36 किता–2, मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का हांसपुर द्वारा दिनांक 31.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/– रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का हांसपुर द्वारा दिनांक 31.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2019.08.21 18:32:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: